



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 642 राँची, मंगलवार, 8 अक्टूबर, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

आदेश

7 अक्टूबर, 2024

संख्या-09/आरोप-राँची-167/2020 -3348/रा० -- श्री कपिलदेव मांझी, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, खलारी, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध राँची जिला अंतर्गत खलारी अंचल के बुकबुका ग्राम के खाता सं०-04, प्लॉट सं०-37, 46, 57, एवं 58 के रजिस्टर-II में छेड़-छाड़ कर गलत रैयत को लाभ पहुँचाने के आरोप में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, राँची के पत्रांक-1307(II)/स्था०, दिनांक- 09.11.2020 द्वारा आरोप पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है।

2. आरोप पत्र में गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-210/रा०, दिनांक- 18.01.2021 द्वारा श्री मांझी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के आलोक में श्री मांझी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

3. श्री मांझी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1516/रा०, दिनांक- 26.03.2021 के माध्यम से उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गई है। उक्त के क्रम में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची का पत्रांक-26(I)/स्था०, दिनांक- 16.10.2023 द्वारा विभाग को मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।

4. श्री मांझी के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप, श्री मांझी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य एवं उपलब्ध अभिलेख के सम्यक समीक्षोपरांत श्री मांझी के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-3111, दिनांक-06.05.2024 द्वारा श्री कमल जॉन लकड़ा, (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0) को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग हेतु विभागीय जाँच पदाधिकारी नामित किया गया है।
6. अतः विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री कमल जॉन लकड़ा, (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0) विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, खलारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।
7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

रामवृक्ष महतो,
सरकार के उप सचिव ।
